न्यायालय भू–अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग.

: : ज्ञापन : :

क्रमांक 627 / वाचक–1 / 2022 — अम्बिकापुर, दिनांक 4 / 02 / 2022

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड, राजनांदगॉव, (छ.ग.)

विषय :– भू–अर्जन प्रकरण कमांक–07 / अ–82 / 2021–22 ग्राम **धनगंवा** का राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में।

–00–

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक–1 अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा सपना व्यपवर्तन के निर्माण हेतु ग्राम **धनगंवा** तहसील अंबिकापुर जिला सरगुजा के **रकबा 0.999** हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना प्रारुप की तीन–तीन प्रतियॉ संलग्न प्रेषित है। राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर राजपत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप साहू)
भू–अर्जन अधिकारी
अम्बिकापुर

पृ. क्रमांक 628 / वाचक–1 / 2022 — अम्बिकापुर, दिनांक 4 / 02 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. संचालक जनसंपर्क, प्रकाशन संचनालय महिला थाने के पास रायपुर को सूचनार्थ। प्रारंभिक अधिसूचना प्रारुप की पांच–पांच प्रतियॉ संलग्न प्रेषित है। दो स्थानीय समाचार–पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर समाचार–पत्र की एक–एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक–1 अंबिकापुर जिला सरगुजा को प्रारंभिक अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रारंभिक अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय का अवगत करावें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रारंभिक अधिसूचना को राजस्व विभाग की बेबसाईट cg.nic.in/revenue मे अपलोड करावे, और तदाशय का प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को 07 दिवस के अन्दर उपलब्ध करावें।
4. तहसीलदार, अंबिकापुर को अधिसूचना प्रकाशन की तीन प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित ग्राम में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन करावें, साथ ही एक प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप साहू)
भू–अर्जन अधिकारी
अम्बिकापुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

अम्बिकापुर दिनांक 03/02/202

कमांक 07 /अ–82/2021–22 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एदद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

— अनुसूची —												
अर्जित भूमि का विवरण											धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.नं.	खसरा नं./क्षेत्रफल हेक्टेयर में									
1	2	3	4				5				6	7
			ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा		
सरगुजा	अम्बिकापुर	धनगंवा/ 28	57	0.020	109	0.048	418/2	0.096	410	0.014	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक–1 अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)	सपना व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु।
			418/1	0.012	409	0.013	252/1	0.036	253/6	0.008		
			407/4	0.003	252/2	0.004	252/3	0.012	253/2	0.038		
			407/3	0.004	252/4	0.012	253/5	0.014	253/4	0.048		
			253/1	0.084	407/2	0.002	416/1	0.016	250/1	0.112		
			250/2	0.104	417	0.054	408/1	0.002	408/2	0.003		
			408/3	0.002	267/1	0.021	268/3	0.020	267/2	0.014		
			267/3	0.015	273	0.056	245	0.112				
			कुल खसरा—31 कुल रकबा 0.999 हे0									

02. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्व व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघत निर्धारण के निष्कर्षो के बारे मे अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृति ब्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

03. भूमि का नक्शा(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के कार्यालय मे किया जा सकता है।

04. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित का विस्थापन निहित नही है।

05. प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रुप में किया जाना प्रस्तावित है, तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

06. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

(प्रदीप साहू)
भू–अर्जन अधिकारी
अम्बिकापुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर,
सरगुजा
एंव पदेन उप सचिव, छ0ग0शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग